

**फर्द अहकाम**  
**न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर**

रामकृष्ण / कर्जोसमल

केस संख्या : 20/2023

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
7-5-2024		<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी ने निवेदन चुनाब कार्य में मस्त पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>7/5/24</u> पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वारी उपस्थित। अधिवक्ता ने निवेदन किया की अधिवक्ता संख्या 1 लगापत 13 की रजि. एसी करवाकर व्यापार के सगुण मूलवाद के रजि. एसी रखा है। दिनांक 28/3/2023 के रजिस्टर्ड एसी करवाकर के बाद से रजि. एसी वापस नहीं लोये है तथा अधिक समय हो जाने कारण ट्रेक रिपोर्ट नहीं निकली जा सकती है। अतः एक महिला का (Presumption) अनुमान तामील मानकर अधिवक्ता की तामील पूर्व मानी जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की रजि. एसी रखा है जोकि कोर्ट ने अदक तामील वापस नहीं है। अतः एक महिला का Presumption मानकर अधिवक्ता की तलवी पूर्व मानी जाती है। अधिवक्ता संख्या 1 लगापत 11 एक वर्ष के उपरान्त भी रजि. एसी करवाकर के बाद भी अनुपस्थित है। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p align="right">गुर्जी अधिवक्ता की</p>	

**फर्द अहकाम**  
**न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर**

रामकरण / कजौडमल

केस संख्या : 20/2023

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
------------	---------------------------	----------------------	-------------

पार्सन फर्द अन्तर्गत स्थान आदेश पर अपूर्णीय बटस सुनी गई। पत्नी अधिवक्ता ने दोस्त बटस अधिवक्ता किरा की अपाणीगण किा विभागत हुये विवाडित दासजी पर निर्माण कार्य व व अन्य वानियों के बेचार करे पर आग्रह है। अगर अपाणीगण यह करे में सफल होते है तो पार्स को अपूर्णीय छीत होगी। पञ्जवली का अवलोकन किरा गया। वाड बरवोर का है, ~~पुके अपाणी~~ द्वारा प्रस्तुत तर्क, पार्सन फर्द में अंकित तर्कों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय छीत पत्नी के पक्ष में घती होती है अतः वाड बरवोर को रोकने के लिए दिनांक 24/3/2023 को जारी अन्तर्गत स्थान आदेश को मूलवत के निस्तारण तक स्थगित किरा जाता है।

पञ्जवली फैसल शुमाद होकर दाखिल दफ्तार हो

**सहायक कलक्टर**  
**आमेर न. जयपुर**